

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 218/11 (वाद)

कैम्प – गादोली

1. श्री गोपाल पिता धर्मा मीणा निवासी गणगौर फलां, खरपीणा, हाल युनिवर्सिटी रोड पायडा, उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री मगनीराम पिता भेरा भील निवासी जवान जी का खेडा तह. मावली।
2. श्री जयचन्द्र पिता रामा भील निवासी जवान जी का खेडा तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.05.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा गन्दोलीखेडा पटवार हल्का लदानी की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	गोपाल पिता धर्मा मीणा निवासी हाल यूनिवर्सिटी पायडा खातेदार	112 156 260 / 112	0.11 0.16 0.10	1.49 3.33 2.75
	योग	किता 3	1.17	7.57
2	मगना पिता भेरा 1/4 किशोर पिता पप्पु 1/4 जयचन्द्र पिता रामा 1/2 भील सा. देह खातेदार	92 159 162 163 166 259 / 156	0.03 1.07 0.11 0.06 0.19 0.09	0.54 6.58 0.17 0.81 2.60 1.87
	योग	किता 6	3.15	12.57
3	अमरा रूपा नवला प्रथा पिता पन्ना उम्मेदी पत्नी स्व. माना गोरधन लेहरू हराली पिता धन्ना परथी पत्नी स्व. धन्ना लोगर मोवन पिता अमरा मगना पिता भेरा किशोर पिता पप्पु जयचन्द्र पिता रामा भील सा. देह गोपाल पिता धर्मा मीणा हाल नि. युनिवर्सिटी पायडा स्थान गणगौर फला खरपीणा उदयपुर 2/3 हि.ब. रता पिता छगु 1/6 अमरा पिता उदा मगना पिता भेरा किशोर पिता पप्पु खेमा रता सवागी प्रताबी पिता कसना धापू पत्नी स्व. कसना 1/6 हि. ब. भील सा. देह खातेदार	97 99	0.03 0.01	— —
	योग	किता 2	0.04	—
4	खेमा रता सवागी प्रतापी पिता कसना धापु पत्नी स्व. कसना उम्मेदी पत्नी स्व. माना रूपा प्रथा पिता पन्ना गोरधन लेहरू	106	0.05	—

	हसली पिता धन्ना परथी पत्नी स्व. धन्ना 1/3 हि.ब. गोपाल पिता धर्मा मीणा 1/9 नि. हाल यूनिवरसिटी पायडा स्थान गणगौर फला खरपीणा उदयपुर मगना पिता भेरा 1/18 किशोर पिता पप्पु 1/18 जयचन्द पिता रामा 1/9 लोगर, मोवन पिता अमरा 1/3 हि.ब.सा.देह खातेदार			
	योग	किता 1	0.05	—

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली